

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

ओमप्रकाश व/स कोमप्रकाश

हुक्म या कार्यवाही मध्य हस्ताक्षर

5 से 9, 10, 11, 12 से 23, 26 से 27

नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
हुक्म की तारीख
जारी हुए

पेशी

श्री मदनलाल गुर्जर

श्री हेमसेंट गौड-1

WA-27

6.10.25

ओमप्रकाश बनाम ओमप्रकाश वगैरह (2025/79)

यह पत्रावली अभिभाषक श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील स्वीकार किये जाने वास्ते एवं प्रकरण की शीघ्र सुनवाई वास्ते पेश किये जाने से आज तलब की गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 से 08, 10 से 21 की ओर से तेजेन्द्रसिंह राठौड एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। रेस्पोंडेन्ट संख्या 22 से 25 की ओर से श्री नवीन गुर्जर एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, जो शामिल मिसल हो। अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अपील स्वीकार किये जाने वास्ते एवं प्रकरण की शीघ्र सुनवाई वास्ते पेश कर निवेदन किया कि उपरोक्त उनवानी अपील में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है अपीलांट की अपील को स्वीकार कर ली जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जाता है तो रेस्पोंडेन्ट को किसी प्रकार की कोई आपत्ति उज्र नहीं होगा।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, द्वारा पारित आदेश को निरस्त फरमाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट संख्या 22 से 25 द्वारा भी इस बाबत सहमति दी गई। रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 स्वयं उपस्थित हुए एवं आदेशिका पर सहमति देकर आदेशिका पर हस्ताक्षर किये जिनकी पहचान उनके अभिभाषक श्री तेजेन्द्रसिंह राठौड द्वारा की गई।

अतः अपील अपीलांट उभयपक्ष द्वारा सहमति दिये जाने से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 15/2024 में पारित आदेश दिनांक 09.01.2025 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फौसलशुमार होकर नम्बर से कम हो

राजस्व अपील प्राधिकारी

अजमेर

Handwritten signature

श्रीमद...
87.00 का पर्त

Identified by

TSRattor...

6/10/25

Handwritten mark



157
श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर

157
श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी, अजमेर
ने श्रीमती वसुधा देवी वसुधा देवी
श्रीमती वसुधा देवी वसुधा देवी

अपील दिनेन्सी एक्ट संख्या 79 सन् 2025 जिला अजमेर

2025/79

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

27/01/25

1. ओमप्रकाश पुत्र सांवतसिंह जाति रावत निवासी ग्राम फारकिया तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. पप्पूसिंह पुत्र हजारी जाति रावत निवासी कानाखेडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. रामा S/O अमरा जाति रावत नि. कानाखेडी तह. नसीराबाद जि. अजमेरअपीलाण्ट

रजि. अजमेर वनाम

2025/79
27/01/25

1. ओमप्रकाश पुत्र बुद्धा ✓
2. आयचुकी पुत्री धर्मा ✓
3. कूकी पुत्री धर्मा ✓
4. किशन पुत्र कम्मा ✓
5. गीता पुत्री धर्मा ✓
6. चेकादेवी पत्नि बुद्धा ✓
7. जोधा पुत्र कम्मा ✓
8. नानी पुत्री धर्मा ✓
9. नारायण सिंह पुत्र बुद्धा ✓
10. निखिल सिंह पुत्र बवलूसिंह नावालिग जरिये संरक्षक सुनीता ✓
11. निशा पुत्री बवलूसिंह नावालिग जरिये संरक्षक सुनीता ✓
12. पप्पू पुत्री धर्मा ✓
13. मुकेश सिंह पुत्र बुद्धासिंह ✓
14. मतिया पुत्री धर्मा ✓
15. मीरा पुत्री धर्मा ✓
16. लक्ष्मणसिंह पुत्र रामा ✓
17. विमला पुत्री धर्मा ✓
18. सुनीतादेवी पत्नि बवलू ✓
19. सीतादेवी पुत्री बुद्धा ✓
20. सीताराम पुत्र बुद्धा ✓
21. सोहन पुत्र कम्मा ✓
22. कालूसिंह पुत्र लाडूसिंह ✓
23. देवीसिंह पुत्र लाडूसिंह ✓

24. भंवरीदेवी पत्नि लाडूसिंह.

25. महेन्द्रसिंह पुत्र माना ,

समस्त जाति रावत निवासी ग्राम कालेडी तहसील नसीराबाद
जिला अजमेर।

अच - 20. मैनेजर बैंक ऑफ बडौदा शाखा वीर अजमेर।

अच - 21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद जिला
अजमेर।

.....रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी
महोदय नसीराबाद जिला अजमेर दिनांक 9.1.2025
प्रकरण संख्या 15/2024 उनवानी ओमप्रकाश
बनाम ओमप्रकाश मे पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:-

अ. यह कि इस अपील के सक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार से है
कि रेस्पोंडेन्ट सं० 1 ने अपीलाण्ट के विरुद्ध एक राजस्व प्रार्थना पत्र
अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत
विद्वान उपखण्ड अधिकारी महोदय नसीराबाद के न्यायालय मे प्रस्तुत
कर निवेदन किया कि रेस्पोंड सं० 1 की खातेदारी आराजी ग्राम
कालेडी तहसील नसीराबाद मे अवस्थित है जिसके वर्तमान जमाबन्दी
अनुसार हाल खसरा नं० 510 रकबा 0.16 हेक्टर भूमि के रेस्पोंड
खातेदार दर्ज है तथा रेस्पोंड अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं० 510
मे ग्राम कालेडी की आराजी हाल खसरा नं० 3123/508 रकबा 0.03
अपीलाण्टस की खातेदारी आराजी मे पूर्व से पश्चिम दिशा मे आवागमन
करते है। रेस्पोंड अपनी खातेदारी आराजी नं० 510 मे मुख्य सडक हाल
खसरा नं० 508 से होकर अपीलाण्टस की भूमि हाल खसरा नं०
3125/508 मे से होकर आवागमन करते है तथा उक्त रास्ते के
अलावा अन्य कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है तथा राजस्व नक्शे मे रास्ते का
अंकन नहीं है जिससे रेस्पोंड की खातेदारी आराजी मे आवागमन हेतु
पूर्व से पश्चिम के रूप मे 30 फुट चौड़ा रास्ता रेस्पोंड की उक्त

